न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2026 निगरानी

उनवान

श्री पूनमचन्द जीनगर पिता बंशी लाल जीनगर निवासी कोशीथल तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।

—निगराकार

बनाम

1. श्री नारायण लाल पिता भैरू लाल जाट निवासी हरिपुरा उल्लाई तहसील सहाडा।
2. ग्राम पंचायत उल्लाई पंचायत समिति सहाडा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा, तहसील सहाडा।
3. ग्राम पंचायत उल्लाई पंचायत समिति सहाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उल्लाई तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।

—गैर निगराकारान्

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 10 दिनांक 27.12.2024 को निरस्त कराया जाने बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

1. निगराकार अधिवक्ता – अनिरूद जीनगर, अनिल कुमार धाकड उपस्थित।
2. गैर निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02/06/2026

1— निगराकार अधिवक्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि— निगराकार पूनमचन्द जीनगर ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत उल्लाई में मार्च वर्ष 2024 से मार्च वर्ष 2025 तक पदस्थापित थे और वर्तमान में ग्राम पंचायत नादंशा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में पदस्थापित है। ग्राम पंचायत उल्लाई के क्षेत्राधिकार में ग्राम हरिपुरा आता है। निगराकार जब मार्च 2024 से मार्च 2025 तक ग्राम पंचायत उल्लाई में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे तब गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत उल्लाई द्वारा ग्राम हरिपुरा में पट्टा संख्या 10 दिनांक 27/12/2024 को जारी किया जिसकी साईज उत्तर की ओर 36+80 फिट दक्षिण की ओर 36+80 फिट, पूर्व की ओर 11.5+17.5 फिट तथा पश्चिम की ओर 13 फिट है और पडौस पूर्व में हीरा पिता छोगा जाट, पश्चिम आम रास्ता, उत्तर हीरा पिता छोगा जाट, दक्षिण संतोकी पत्नी बरदीचन्द जाट का मकान है। गैर निगराकार संख्या 01 ने पंचायत के समक्ष असत्य एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करके तथा पंचायत एवं निगराकार जो कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी था को गुमराह करके पट्टा संख्या 10 गलत एवं अवैध तौर से जारी करवाया गया है। जिसे निरस्त कराने बाबत् यह निगरानी याचिका पेश है।

2— गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथपत्र/स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत कर बताया कि यह मकान मुझे विरासत में भाई बटवारे में मिला है। इस मकान पर मैं अपने परिवार सहित निवास करता हूँ इस मकान पर किसी प्रकार का वाद और विवाद नही है तथा इस मकान का पहले कोई पट्टा नही

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम संख्या 146 के अन्तर्गत 03 वार्ड पंचो की कमेटी में दिनांक 20/06/2024 को उक्त मकान का स्थल निरीक्षण किया जिसके प्रमाण स्वरूप स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर 03 वार्ड पंचो ने हस्ताक्षर कर रखे है। स्थल निरीक्षण कमेटी ने माना कि मकान पुश्तैनी होकर आबादी भूमि पर बना हुआ है। गैर निगराकार संख्या 01 उक्त मकान में निवास कर रहा है। स्थल निरीक्षण कमेटी के अनुसार उक्त मकान बाबत् माननीय न्यायालय में कोई वाद और विवाद नही चल रहा है। साथ ही प्रार्थी के भाई बहन आस पडौस पाती हिस्सा निकास आदि का कोई विवाद नही चल रहा है। उक्त मकान का पट्टा बनाने पर किसी भी सुविधाओं, अधिकारो, सुखाचारो एवं ग्राम की सुन्दरता व सफाई रास्ते की चौडाई आदि पर कोई प्रभाव नही पडेगा तथा कमेटी की राय में पट्टा बनाया जाना उचित माना गया था। उक्त मकान के पट्टे के सम्बध में किसी भी व्यक्ति पडौसी रिश्तेदार द्वारा माननीय न्यायालय में वाद विवाद चलने बाबत् कोई मौखिक व लिखित में ग्राम पंचायत उल्लाई तहसील सहाडा को कभी सूचित नही किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 05/07/2024 को एक माह का आपत्ति आक्षेप पत्र जारी किया गया। ग्राम हरिपुरा के सहजदृश्य स्थान पर नोटिस चस्पा किया गया जिस पर एक माह बाद कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई उसके पश्चात् पट्टा जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मय शपथपत्र तथा मौके पर मकान देखने पर सद्भावना से यह प्रतीत हुआ कि गैर निगराकार संख्या 01 का मकान आबादी में बना हुआ है। जबकि गैर निगराकार संख्या 01 का मकान ग्राम हरिपुरा (उल्लाई) की आराजी संख्या 152 गैरमुमकीन आबादी में स्थित है। गैर निगराकार संख्या 01 ने तथ्यो को छुपाकर ग्राम पंचायत उल्लाई से पट्टा जारी करवाया है।

3— यह है कि दिनांक 08/01/2026 को निगराकार को यह जानकारी हुई कि गैर निगराकार संख्या 01 का मकान आराजी संख्या 152 गै.मु. आबादी में स्थित है जो कि खाता संख्या 01 होकर राज्य सरकार के खाते में दर्ज है और ग्राम पंचायत उल्लाई के खाते मे दर्ज नहीं है और राज्य सरकार के खाते में दर्ज जमीन बाबत् पट्टा जारी करने का अधिकार पंचायत को नही है। पंचायत उन्ही जमीनो बाबत् पट्टा जारी कर सकती है जो आबादी में दर्ज होकर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज हो। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 को जो पट्टा जारी किया गया है वह राज्य सरकार के नाम पर दर्ज खाता संख्या 01 में स्थित गै.मु. आबादी के आराजी संख्या 152 में सदभावनापूर्वक हुई त्रुटि से जारी हो गया है। गैर निगराकार संख्या 01 को जारी पट्टे को निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पचांयत उल्लाई द्वारा सद्भावना पूर्वक आम जनता के कार्य करते हुऐ पट्टा जारी किया गया तथा जिस मकान का पट्टा जारी किया गया उसके आस पास भी आबादी है तथा वार्डपंच या पटवारी ने भी यह आपत्ति प्रस्तुत नही की एवं जानकारी नही दी कि गैर निगराकार संख्या 01 का मकान आबादी भूमि मे बना हुआ नही है। इस कारण सदभावना पूर्वक हुई गलती से पट्टा जारी हुआ है और पट्टा जारी करने में गैर निगराकार संख्या 01 ने असत्य एवं झूठे कथन प्रस्तुत किये है। अतः मकान गै.मु. आबादी भूमि में स्थित होने से तथा राज्य सरकार के खाते में दर्ज होने से ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार न होने तथा असत्य एवं झूठै कथनो से पट्टा प्राप्त करने के कारण गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांकित 27/12/2024 को खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। पट्टा जारी करने की प्रक्रिया तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जो कि स्वंय निगराकार है द्वारा की गई इस कारण सद्भावना से गलत तौर से जारी हुऐ पट्टे को निरस्त कराने बाबत निगराकार की ओर से यह निगरानी याचिका श्रीमान् के समक्ष पेश है। दिनांक 08/01/2026 को पटवारी हल्का उल्लाई ने निगराकार को यह जानकारी दी कि आप द्वारा जो पट्टा संख्या 10 गैर निगराकार संख्या 01 के मकान का जारी किया गया है वह आराजी संख्या 152 गै.मु. आबादी जिसके खातेदार राज्य सरकार है के बाबत जारी कर दिया गया है। दिनांक 08/01/2026 को ही निगराकार द्वारा सद्भावना से गलत तौर पर जारी हुऐ पट्टे की जानकारी हुई है और जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के आज विहित समयावधि में यह निगरानी पेश की जा रही है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 10 दिनांक 27/12/2024 को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

4— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 22.01.2026 को पजीबद्व किया जाकर गैर निगराकारान् को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से आदेशिका दिनांक 24.02.2026 से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि** – ग्राम पचांयत उल्लाई द्वारा सद्भावना पूर्वक आम जनता के कार्य करते हुऐ पट्टा जारी किया गया तथा जिस मकान का पट्टा जारी किया गया उसके आस पास भी आबादी है तथा वार्डपंच या पटवारी ने भी यह आपत्ति प्रस्तुत नही की एवं जानकारी नही दी कि गैर निगराकार संख्या 01 का मकान आबादी भूमि मे बना हुआ नही है। इस कारण सदभावना पूर्वक हुई गलती से पट्टा जारी हुआ है और पट्टा जारी करने में गैर निगराकार संख्या 01 ने असत्य एवं झूठे कथन प्रस्तुत किये है। अतः मकान गै.मु. आबादी भूमि में स्थित होने से तथा राज्य सरकार के खाते में दर्ज होने से ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार न होने तथा असत्य एवं झूठै कथनो से पट्टा प्राप्त करने के कारण गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांकित 27/12/2024 को खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। पट्टा जारी करने की प्रक्रिया तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जो कि स्वंय निगराकार है द्वारा की गई इस कारण सद्भावना से गलत तौर से जारी हुऐ पट्टे को निरस्त कराने बाबत निगराकार की ओर से यह निगरानी याचिका श्रीमान् के समक्ष पेश है। दिनांक 08/01/2026 को पटवारी हल्का उल्लाई ने निगराकार को यह जानकारी दी कि आप द्वारा जो पट्टा संख्या 10 गैर निगराकार संख्या 01 के मकान का जारी किया गया है वह आराजी संख्या 152 गै. मु. आबादी जिसके खातेदार राज्य सरकार है के बाबत जारी कर दिया गया है। दिनांक 08/01/2026 को ही निगराकार द्वारा सद्भावना से गलत तौर पर जारी हुऐ पट्टे की जानकारी हुई है और जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के आज विहित समयावधि में यह निगरानी पेश की जा रही है।

अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 10 दिनांक 27/12/2024 को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

5— **प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा के पत्र कमांक 108 दिनांक 21.04.2026 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया गया कि**– पट्टा जारी करने की समस्त प्रक्रिया पूर्ण की जाकर ग्राम पंचायत उल्लाई द्वारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (निगराकार) के कार्यकाल में दिनांक 27.12.2024 को गैर निगराकार श्री नारायण लाल जाट के पक्ष में पटटा सं. 10 जारी किया गया है। उक्त भूमि की किस्म जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 152 रकबा 1.33 गैमू. आबादी होकर वर्तमान खाता सख्या 44 होकर ग्राम पंचायत उल्लाई के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में होकर ग्राम पंचायत द्वारा पटटा दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत उल्लाई की रिपोर्ट के अनुसार गैर निगराकार द्वारा द्वारा आंशिक रूप से निजी खातेदारी पर मकान का आंशिक हिस्सा स्थित है निजी कृषि भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने हेतु सक्षम नहीं है।

6— **उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि**– ग्राम पंचायत उल्लाई द्वारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (निगराकार) के कार्यकाल में दिनांक 27.12.2024 को गैर निगराकार श्री नारायण लाल जाट के पक्ष में पटटा सं. 10 जारी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया है। उक्त भूमि की किस्म जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 152 रकबा 1.33 गैमू. आबादी होकर वर्तमान खाता सख्या 44 होकर ग्राम पंचायत उल्लाई के नाम दर्ज रिकार्ड है। गैर निगराकार द्वारा द्वारा आंशिक रूप से निजी खातेदारी पर मकान का आंशिक हिस्सा स्थित है। निजी कृषि भूमि पर ग्राम पंचायत उल्लाई को पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना नहीं की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्व है। इस प्रकार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएवं–

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत उल्लाई, पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 27.12.2024 खारीज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत उल्लाई, पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाडा को निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा